06.11.24

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थी की ओर से उनके अभिभाषक श्री संजय सुरोलिया ने पेश किया। अतः दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी का यह प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में बनता है।

पत्रावली अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थना पत्र में विचाराधीन बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एंव अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक जरिये अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वाके ग्राम बड़ाऊ स्थित खाता संख्या 383 के खसरा नम्बर 1160 रकबा 0.2100 है., खसरा नम्बर 2368/1153 रकबा 0.0300 है., खसरा नम्बर 2389/1162 रकबा 0.1000 है., खसरा नम्बर 940 रकबा 0.0500 है. में मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाएं रखें। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह आदेश 39 नियम 3 सिविल प्रकिया संहिता 1908 के प्रावधानों के तहत अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की तलबी आगामी तारीख पेशी से पूर्व रजिस्टर्ड डाक से करवाया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में जिन भी स्थितियों में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है, को वैकेट कर दिया जायेगा। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 20-1-25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी

25/11/24 प्रार्थी के द्वारा जरिये अधिवक्ता हस्तगत प्रा0पत्र को विड्रा करने का प्रा0 पत्र पेश होने पर पत्रावली रिकार्ड से तलब होकर पेश हुई। प्रार्थी के द्वारा इस आशय का प्रा0पत्र पेश किया गया है कि प्रकरण में पक्षकारान के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है इसलिए प्रार्थी प्रकरण को [illegible] चलाना चाहता है। अत: प्रकरण को विड्रा करने की अनुमति प्रदान की जावे। प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में पक्षकारान

A.K. Sharma
पैरवीकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Banshi Dhar Yogi
Date: 2024.12.09 17:39:03 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	के मध्य राजीनामा होने से प्रार्थी द्वारा उक्त प्रा० पत्र को आगे नहीं चलाने से प्रार्थी को हस्तगत प्रा०पत्र विड्रा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थी का हस्तगत प्रा०पत्र खारिज किया जाता है। मिसल दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Banshi Dhar Yogi
Date: 2024.12.09 17:39:03 IST
Reason: SelfAttested